(1)

सामाजिक पुर्नवास कोष योजना के संचालन हेतु संशोधित मार्गदर्शिका

परिचय :– सामाजिक पुर्नवास कोष घरेलू हिंसा एवं उत्पीड़न, सामाजिक एवं अपराधिक हिंसा, मानव–पणन, डायन प्रथा आदि से पीड़ित महिलाओं एवं उनके 5 वर्ष के आश्रित बच्चों के चिकित्सकीय, शैक्षणिक एवं सामाजिक तथा आर्थिक पुर्नवास के लिये आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिये गठित एक कोष है।

सामाजिक पुर्नवास कोष का स्वरूप

संप्रति यह कोष राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त अनुदान से बना है। राज्य स्तरीय एवं जिला स्तरीय संचालन समिति का यह दायित्व होगा कि राज्य सरकार से प्राप्त अनुदान के अतिरिक्त अन्य स्त्रोतों से इस कोष में अंशदान प्राप्त कर इसे सुदृढ़ता प्रदान करे। अन्य स्त्रोत निम्नवत हो सकते हैं:–

1. केन्द्र सरकार से अनुदान
2. निजी व्यक्तियों एवं संस्थाओं से दान
3. विभिन्न गतिविधियों से प्राप्त आय
4. कोष के निवेश से प्राप्त सूद की राशि
5. प्रायोजकों से प्राप्त राशि, इत्यादि

कोष की संचालन विधि

(क) दो स्तरीय समिति द्वारा इस कोष का संचालन किया जायेगा:–

1. राज्य स्तरीय समिति – महिला विकास निगम का निदेशक मंडल

2. जिला स्तरीय समिति -- समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित "अस्तित्व योजना" के लिए गठित जिला स्तरीय पणन निवारण समिति होगी जिनमें निम्नांकित सदस्य होंगे:–

1.	जिला पदाधिकारी	–	अध्यक्ष
2.	अध्यक्ष, जिला परिषद्	–	सदस्य
3.	आरक्षी अधीक्षक	–	सदस्य
4.	उप विकास आयुक्त	–	सदस्य
5.	जिला कार्यक्रम पदा0	–	सदस्य
6.	सिविल सर्जन	–	सदस्य
7.	सरकारी वकील	–	सदस्य
8.	जन अभियोजन	–	सदस्य
9.	जिला शिक्षा पदाधिकारी	–	सदस्य
10.	श्रम अधीक्षक	–	सदस्य

11. बिहार एड्स सोसायटी
के जिला स्तरीय कार्यकर्त्ता – सदस्य
12. बच्चों एवं महिलाओं के व्यापार के विरूद्ध कार्य करनेवाले 2 सामाजिक संस्था/नेटवर्क के प्रतिनिधि (जिला पदाधिकारी/एस. पी. के परामर्श से नियुक्त)– सदस्य
13. जिला कार्यक्रम पदाधिकारी – संयोजक
रेल एस. पी/ बी. एस. एफ. के जिला प्रमुख/एस. एस.बी एवं अन्य अर्द्ध–सैनिक बल के जिला में पदस्थापित पदाधिकारी तथा महिला विकास निगम के जिला परियोजना पदाधिकारी स्थायी आमंत्रित सदस्य होंगे।

समिति की बैठक तीन महीने में एक बार होगी। राज्य एवं जिला स्तरीय समिति के अध्यक्ष आवश्यकतानुरूप अल्प सूचना पर भी बैठक आयोजन कर सकते है।।

समिति की अैठक में कार्य संपादन के लिये न्यूनतम 5 सदस्यों की उपस्थिति गण–पूरक मानी जायेंगी।

(ख) कोष का गठन प्रथमतः महिला विकास निगम द्वारा उपलब्ध करायी गयी निधि से होगा। जिला स्तर पर जिला पदाधिकारी इस कोष के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी होंगे।

(ग) इस कोष का स्वतंत्र रूप से लेखा संधारण किया जायेगा तथा कोष में प्राप्त सभी निवेश की प्रविष्टि सुनिश्चित किये जाने का दायित्व निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी का होगा।

(घ) निगम द्वारा स्वीकृत राशि का 75 प्रतिशत अंश व्यय हो जाने पर व्यय की गयी राशि की व्यय विवरणी के साथ जिला पदाधिकारी समतुल्य राशि के लिये अधियाचना निगम को भेजेंगे।

(ड.) राज्य सरकार द्वारा मानव–पगन के लिये राज्य के कुछ जिले स्त्रोत, संक्रमण एवं गंतव्य (Source, Transit and Destination) जिलों के रूप में चिन्हित हैं। तीनों कोटि के अंतर्गत आनेवाले जिलों के लिये कोष की गठन राशि अन्य जिलों की तुलना में अधिक रखी गयी है।

<u>सहायता क्षेत्र</u>

इस कोष में संचित निधि का उपयोग निम्न मदों में किया जायेगाः–

(i) घरेलू हिंसा, अपराधिक हिंसा, यौन उत्पीड़न, डायन प्रथा से संबंधित हिंसा में घायल हुई महिलाओं तथा उसके 5 वर्ष की आयु के आश्रित संतान की चिकित्सा, विभिन्न यौन–रोगों की चिकित्सा तथा आहत भावनाओं की पीड़ा निवारण हेतु आवश्यक चिकित्सा के लिये।

(ii) ऊपर की कंडिका में वर्णित हिंसा से पीड़ित महिलाओं तथा उनके 10 वर्ष की आयु तक की आश्रित संतान के लिये प्राथमिक शिक्षा/कौशल वृद्धि के लिये।

(iii) जीविकोपार्जन के लिये इच्छुक पीड़ित महिलाओं को रोजगार प्रारंभ करने हेतु ब्याज रहित ऋण प्रदान करने के लिये।

(iv) *मानव पणन की पीड़िताओं को रेड एंड रेस्क्यु कार्रवाई के 3 दिनों के अंदर रू. 3000/की अंतरिम पुर्नवास सहायता प्रदान की जायेगी।*

(v) उपर वर्णित मदों के अतिरिक्त विशेष परिस्थतिजन्य कतिपय अन्य मामलों में भी सहायता राशि स्वीकृत की जा सकेगी। ऐसे विशिष्ट मामलों में समिति के निर्णय में कारणों का स्पष्ट उल्लेख आवश्यक होगा।

(vi) सामाजिक पुनर्वास कार्यक्रम के अंतर्गत आने वाले मामलों एवं विषयों की एक सूचक सूची मार्गदर्शिका के अनुलग्नक (1) में संलग्न है जो मामलों के निस्तार में सहायक हो सकते हैं।

<u>सहायता की स्वीकृति</u>

(1) किसी कोटि की पीड़ित महिला को सहायता की राशि का भुगतान अधिकृत एजेंसी की अनुशंसा पर किया जायेगा। घरेलू हिसा एवं प्रताड़ना तथा दहेज पीडित महिलाओं के मामलों तथा शिक्षा एवं कौशल वृद्धि में सहायता की स्वीकृति के लिये जिला स्तरीय महिला हेल्पलाईन अधिकृत एजेंसी होगी।

(2) डायन प्रथा के अंतर्गत हिंसा, मानव पणन एवं यौन–शोषण की पीड़ित महिलाओं को सहायता की स्वीकृति के लिये जिला के पुलिस अधीक्षक की अनुशंसा आवश्यक होगी।

(3) *सामाजिक पुर्नवास कोष के तहत पीड़ितों से आवेदन प्राप्त करने हेतु हेल्पलाईन अधिकृत एजेंसी है। पीड़ितों को सहायता प्रदान करने का आवेदन प्राप्त होने के बाद जिला पदाधिकारी, परियोजना प्रबंधक, महिला हेल्पलाईन की अनुशंसा पर सामाजिक पुर्नवास कोष की राशि पीड़ित महिलाओं को तत्काल प्रदान करेंगे और जिला स्तरीय मानव विरोधी समिति की अगली बैठक में उक्त व्यय पर संपुष्टि प्राप्त करेंगे।*

(4) सहायता क्षेत्र शीर्ष के अंतर्गत क्रमांक (i) एवं (ii) में वर्णित पीड़ितों के लिये सहायता की अधिकतम राशि प्रति लाभार्थी क्रमशः रू॰ 6000/ एवं रू॰ 4000/–होगी। स्वीकृति के पूर्व निर्धारित कोटि मे पीड़ित की आवश्यकता का भली प्रकार आकलन समिति द्वारा किया जायेगा। सामान्यतः एक लाभार्थी को वर्ष में एक बार सहायता राशि स्वीकृत की जायेगी। कतिपय गंभीर मामलों में समिति की स्पष्ट अनुशंसा के आधार पर दूसरी बार भी सहायता स्वीकृत की जा सकती है।

सहायता क्षेत्र शीर्ष के अंतर्गत क्रमांक (iii) में वर्णित कोटि के पीड़ितों के लिये ब्याज मुक्त ऋण की अधिकतम राशि प्रति लाभार्थी रू॰ 5000/– तक सीमित होगी तथा यह राशि किसी लाभार्थी को सिर्फ एक बार प्राप्त होगी। ब्याज मुक्त ऋण की राशि की वसूली का दायित्व निर्धारण समिति सुनिश्चित करेगी।